


शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई

2024 का संलग्नक :-

विकल्प-पत्र


1. नाम	सीताराम
2. वर्तमान पदनाम	अपर जिला जज, मुजफ्फरनगर।
3. वेतनमान	144840-194860
4. वर्तमान विभाग का नाम	उ0प्र0 न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्त के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	लोक सेवा आयोग, उ0प्र0
6. विज्ञप्ति की तिथि	15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन सं0 A-2/E-1/2003) (प्रकाशित 22-28 नवम्बर, 2003 रोजगार समाचार)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26.05.2006 उ.प्र. शासन नियुक्ति अनुभाग-4 (सं0-2430/दो-4-06- 32(1)/2001 टीसी-1)
8. योगदान की तिथि	15.06.2006
9. जन्मतिथि	15.07.1969
10. सेवानिवृत्ति की तिथि	31.07.2029

मैं सीताराम पुत्र रामचन्द्र शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।


(सीताराम) 27/8/24
अपर जिला जज,
मुजफ्फरनगर।
I.D. UP6368


घोषणा-पत्र

मैं सीताराम, पदनाम अपर जिला जज, मुजफ्फरनगर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


(सीताराम) 27/8/24
अपर जिला जज,
मुजफ्फरनगर।
I.D. UP6368

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

श्री सीताराम, पदनाम अपर जिला जज, मुजफ्फरनगर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।


कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
District Judge
Muzaffarnagar
27/08/2024

प्रेषक,

सीताराम,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-03 मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,
मुजफ्फरनगर।

विषय :-

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक
28 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301
(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के क्रम में पुरानी पेंशन का विकल्प चुने
जाने के संदर्भ में :-

महोदय,


ससम्मान निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रार्थी की नियुक्ति विज्ञापित सं० ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 15 नवम्बर 2003 प्रकाशित 22-28 नवम्बर, 2003 के अंतर्गत हुई है तथा उपरोक्त शासनादेश से आच्छादित है।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकित 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है। इस पत्र के साथ विकल्प-पत्र संलग्न है।

अतः श्रीमान् जी से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के द्वारा पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने के विकल्प को चुने जाने हेतु प्रस्तुत विकल्प-पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय


(सीताराम) 27/8/24


दिनांक :-27.08.2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-03 मुजफ्फरनगर।
I.D. UP6368

संलग्नक :- पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु विकल्प-पत्र (मूल रूप में)

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

पत्राक 2035/XU-10/2023 दिनांक 27/08/2024
अगसारित


जनपद न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर
27/08/2024